द्वारा फैक्स / समयबद्ध / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–डीजी–1–64–2014 दिनांक: ~~जुलाई~~ 10 अगस्त ;2015

सेवा में,

1–समस्त पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।

2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, उ0प्र0 ।

3–समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

4–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सहायक पुलिस अधीक्षक

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27–7–2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या– 11013 /7/2014–Estt& (A-III) दिनांक 23–07–2015 की प्रति प्रेषित की गयी है।

2– भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र के प्रस्तर–3 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम–2013 के अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण निम्नांकित तिथियों के अनुसार प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है:–

1– दिनांक 1–8–2014 की स्थिति के अनुसार प्रथम

2– दिनांक 31–3–2015 की स्थिति के अनुसार द्वितीय

उपरोक्त सम्पत्ति विवरण दिनांक 15–10–15 के पूर्व लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम–2013 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में चल अचल सम्पत्तियों के संबंध में सम्पत्ति विवरण प्रेषित किये जाने के संबंध में भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– अवगत कराना है कि इस मुख्यालय के पत्र दिनांक 27–7–2015 में प्रस्तर–3 में दिनांक 1–8–15 की स्थिति के अनुसार **दिनांक 15–10–2015 के पूर्व उपरोक्त सम्पत्ति विवरण प्रेषित किये जाने की बात त्रुटिवश अंकित हो गयी है इसे दिनांक 1–8–14 पढ़ा जाए।** यद्यपि इस मुख्यालय के पत्र दि0 27–7–2015 के साथ भारत सरकार के संलग्न पत्र में स्थिति स्पष्ट है कि दि0 1–8–14 व 31–3–15 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति विवरण प्रेषित किये जाने हैं। **दिनांक 1–8–15 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति विवरण नही प्रेषित किया जाना है।**

4– **यह भी स्पष्ट करना है कि पूर्व से प्रचलित कलेण्डर वर्ष का अचल सम्पत्ति विवरण दि0 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार भेजना बन्द नही किया गया है उसे पूर्व की भांति ही भेजा जाना है। यदि इसे न भेजा गया हो तो इसे भी प्रेषित कर दें।**

4– अनुरोध है इस मुख्यालय के पत्र दि0 27–7–15 के साथ संलग्न भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के पूर्व सम्पत्ति विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें।

10.8

(बी0पी0 जोगदण्ड)

पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक,

उ0प्र0, लखनऊ।